

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

ग्रामपंचायत कालीपुर

विधायक सभा नं० १६०७३

जनपद- अदेही

ग्राम पंचायत में दिनांक 16-6-23 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनुजाती / जनजाती / वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाइल नं०
1	निशा देवी प्रजापति	पिंड 40	अध्यक्ष	9450896095
2	श्रीमति लला अकबरी	प्रजापति	सचिव	91055165080
3	प्रसाद बाबू	पिंड 50	कोषाध्यक्ष	9175825133
4	राजाराम	पिंड 42	सामान्य सदस्य	8423367216
5	राजु	गुप्ता 35	सामान्य सदस्य	9956326081
6	दिनेश कुमार	हरिहरेन्द्र 38	सामान्य सदस्य	9195189724
7	श्रीमति दानी	नाई 62	सामान्य सदस्य	9127975497
8	संघटक	पाली 51	सामान्य सदस्य	9193353970
9	विन्दु देवलरी	नाई 36	सामान्य सदस्य	
10	न्योरोजी देवी	हरिहरेन्द्र 40	सामान्य सदस्य	9131016201
11	विमला देवी	पाली 42	सामान्य सदस्य	9153935712
12	सीता देवी	प्रजापति 46	सामान्य सदस्य	9154033049
13	माला देवी	पाली 37	सामान्य सदस्य	91388373237
14	स्वन्तो	प्रजापति 36	सामान्य सदस्य	
15	क्रान्ती देवी	पिंड 50	सामान्य सदस्य	

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध करायें तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति के निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निर्माण
1	निशा देवी	अध्यक्ष	निशा देवी
2	राम अकबर भाट	सचिव	राम अकबर भाट
3	प्रसाद बाबू	कोषाध्यक्ष	प्रसाद बाबू उपाधीपति
4	राजाराम	सामान्य सदस्य	राजाराम
5	राजु गुप्ता	सामान्य सदस्य	राजु गुप्ता
6	दिनेश कुमार	सामान्य सदस्य	दिनेश कुमार
7	शमाम पिहारी	सामान्य सदस्य	शमाम पिहारी
8	संघर्ष	सामान्य सदस्य	संघर्ष
9	विनेश वरी प्रसाद	सामान्य सदस्य	विनेश वरी प्रसाद
10	पीरोजी देवी	सामान्य सदस्य	पीरोजी देवी
11	विमला देवी	सामान्य सदस्य	विमला देवी
12	सीतादेवी	सामान्य सदस्य	सीतादेवी
13	भाला देवी	सामान्य सदस्य	भाला देवी
14	सनोदेवी	सामान्य सदस्य	सनोदेवी
15	कान्तिदेवी	सामान्य सदस्य	कान्तिदेवी

